कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–स/SDMC/22423/2018–19/240 दिनांक : 06.02.2019

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, राजस्थान।

विषय :– विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) की साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समिति की निर्धारित समयावधि में बैठक आयोजन तथा पारित प्रस्तावों की क्रियान्विति हेतु सतत् प्रबोधन बाबत्।

प्रसंग :– समसंख्यक आदेश दिनांक : 06.07.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय अनुमोदनोपरान्त प्रासंगिक आदेश द्वारा राज्य के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "राजस्थान राज्य सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम–1958" के प्रावधानान्तर्गत पंजीकृत संस्था के रूप में गठित "विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)" की संरचना एवं दायित्व निर्धारण सम्बन्धी स्थाई निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों की पालना हेतु क्षेत्राधिकार में अग्रांकित विवरणानुसार क्रियान्विति एवं सतत् प्रबोधन किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. SDMC की कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक माह अमावस्या को निर्धारित बैठक नियमित रूप से आयोजित की जावे। उक्त बैठक में विद्यालय के शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि तथा भौतिक संरचना के विकास सम्बन्धी मुद्दों पर विमर्श उपरान्त पारित प्रस्तावों की क्रियान्विति हेतु अधीनस्थ संस्था प्रधानों को नियमित मॉनिटरिंग हेतु पाबन्द किया जावे।
2. कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो शैक्षिक सत्रों के लिए निर्धारित है। उक्तानुरूप कार्यकाल समाप्ति पर निर्धारित समयावधि में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के मनोनयन/निर्वाचन की कार्यवाही SDMC विधान के अनुरूप तत्काल सम्पादित की जानी सुनिश्चित की जाए। वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप SDMC की कार्यकारिणी समिति में क्षेत्रीय विधायक द्वारा 2 प्रतिनिधियों का मनोनयन किया जाता है। उक्तानुरूप पन्द्रहवीं विधानसभा के निर्वाचन उपरान्त क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में SDMC की कार्यकारिणी समिति में क्षेत्रीय विधायक के 2 प्रतिनिधियों के नवीन मनोनयन/अनुमोदन की कार्यवाही प्राथमिकता से सम्पादित की जानी है।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करवाई जानी सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारंभिक।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
13. वरिष्ठ संपादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

E:\Genral letter.docx